

प्रेसनोट दिनांक 27.09.2023

1. दिनांक 26.09.2023 को वादी श्री कृष्ण कुमार मिश्रा प्र०नि० कैण्ट अयोया द्वारा सूचना दिया गया कि 1. ताज मोहम्मद पुत्र गफ्फार नि० चन्दापुर थाना वजीरगंज गोण्डा 2. राजू गोस्वामी उर्फ राजू भारती उर्फ बाबा पुत्र पारसराम नि० गोसाई का पुरवा थाना को०नगर गोण्डा 3. रिजवान पुत्र बाबू नि० बड़ा दरवाजा थाना वजीरगंज गोण्डा 4. अभिषेक यादव पुत्र राम सजीवन नि० पलिया लोहानी थाना इनायतनगर अयोध्या 5. मनीष जायसवाल पुत्र श्रीराम जायसवाल नि० बारून बाजार थाना इनायतनगर अयोध्या। सभी जेल से बाहर अभि०गण द्वारा अपने व अपने साथियों के आर्थिक एवं भौतिक व दुनियावी लाभ हेतु तेल चोरी व अवैध अग्रेजी शराब का परिवहन करना जैसा जघन्य अपराध कारित कर समाज में भय उत्पन्न करना। संबंध में थाना कैण्ट में मु०अ०सं० 352/23 धारा 3(1) यूपी गैग्रेस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 26.09.2023 को वादी उ०नि० श्री विनय कुमार यादव थाना खण्डासा अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि राम विलाय उर्फ नन्हे पुत्र कोलई नि० चितौरा थाना खण्डासा अयोध्या। गिर० अभि० के कब्जे से एक अद्द चाकू नाजायज बरामद होना। संबंध में थाना खण्डासा में मु०अ०सं० 208/23 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।